फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 20.08.2026

एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण को लूटे गए 24 लाख रुपये सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 01. शिवकुमार 02. विशाल उर्फ सीटू 03. उमेश उर्फ ततैया को मुखबिर की सूचना पर लूटे गये 24,00000/- (चौबीस लाख रुपये) सहित गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम व पता:

01. शिव कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

02. विशाल उर्फ सीटू पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

03. उमेश उर्फ ततैया पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 19.08.2026 को वादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी वृंदावन जनपद मथुरा द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर तहरीर दी गई कि मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्ति वादी की फर्म के कर्मचारियों से बैग लूट कर ले गये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 01. शिवकुमार 02. विशाल उर्फ सीटू 03. उमेश उर्फ ततैया को मुखबिर की सूचना पर लूटे गये 24,00000/- (चौबीस लाख रुपये) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उमेश उर्फ ततैया उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद कर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज की गई है तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ में बताया कि अभियुक्त शिवकुमार जीबीए स्टील लिमिटेड, शिकोहाबाद में चालक है तथा फर्म के मुनीम संदीप गौतम के साथ रुपये लाने-ले जाने का कार्य करता है। उसे पूर्व से जानकारी थी कि दिनांक 18.08.2026 को संदीप के साथ फर्रुखाबाद से रुपये लेकर जाना है। इस पर उसने अपने भाई कुंवर बहादुर उर्फ सोनू तथा साथी विशाल उर्फ सीटू व उमेश उर्फ ततैया के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। शिवकुमार ने खाटू श्याम मंदिर के पास बेवर रोड पर सुनसान स्थान पर हार्न चेक करने के बहाने कार रोक दी तभी सोनू, विशाल एवं उमेश मोटरसाइकिल से पहुंचे और संदीप को तमंचा दिखाकर रुपये से भरा बैग लूट लिया। लूटे गये बैग को वीरपुर गांव के पास झाडियों में छिपा दिया गया। दिनांक 19.08.2026 को चारों अभियुक्त रुपये निकालने पहुंचे और बैग से कुल 30 लाख रुपये बरामद होने पर आपस में बांट लिए। पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवकुमार के कब्जे से 9,75,000/- रुपये, विशाल उर्फ सीटू के कब्जे से 8,25,000/- रुपये, तथा उमेश उर्फ ततैया के कब्जे से 6,00,000/- रुपये बरामद किये गये , जबकि अभियुक्त कुवंर बहादुर उर्फ सोनू 6,00,000 रुपये लेकर फरार हो गया।

अभियुक्त शिव कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त विशाल उर्फ सीटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 444/2017 धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(1)(d) एससी/एसटी एक्ट थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।
2. मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त उमेश उर्फ ततैया उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 314/2018 धारा 272/419/420/467/468/471 आईपीसी व 60,63,72 आबकारी अधिनियम थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी।
2. मु0अ0सं0 244/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

3. मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. शिव कुमार उपरोक्त के कब्जे से 9,75,000/- रुपये
2. विशाल उर्फ शीटू उपरोक्त के कब्जे से 8,25,000/-रुपये
3. उमेश उर्फ ततैया उपरोक्त के कब्जे से 6,00,000/-रुपये व एक मोटरसाइकिल(207एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम-

1. पुलिस उपाधीक्षक/कोतवाली प्रभारी श्री आमोद कुमार सिंह
2. नि0 अपराध श्री मुन्नालाल
3. उ0नि0 श्री जसवीर सिंह
4. का0 भूपेन्द्र
5. का0 शेखर कटारिया
6. म0का दीक्षा चौधरी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली एसओजी टीम:-

01.उ0नि0 श्री संत कुमार
02.हे0का0 करन
03.हे0का0 तेजप्रताप
04.का0 दिव्यांशु
05.का0 सौरभ धीमान
06.का0 धर्मेंद्र सिंह
07.का0 विकास चन्द्र
08.मु0आ0चा0 चंद्रशेखर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली सर्विलांस टीम:-

1. हे0का0 संदीप राव
2. का0 राहुल शर्मा
3. का0 अरविन्द सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

FATEHGARH POLICE

कोतवाली कायमगंज

आज दिनांक 20.08.2026 को कोतवाली कायमगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम रसीदाबाद बल्लभ में लगभग 60 फीट गहरे सकरे कुएं में 05 वर्षीय बच्ची के गिरने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज, उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं फायर ब्रिगेड टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य प्रारम्भ किया गया। कुएं में गैस बनने के कारण स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण थी। आरक्षी मनोज चौधरी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर अदम्य साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। बच्ची को उपचार हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फर्रुखाबाद भेजा गया। आरक्षी का यह साहसिक एवं सराहनीय कार्य देख आमजनमानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना - कम्पिल

दिनांक-20.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भोला पुत्र ब्रह्मानन्द निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 338/2017 वाद संख्या 20/2018 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 20.08.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एडीजीसी - श्री तेज सिंह

एडीजीसी - श्री विकास कटियार

का0 मो0 म0 का0 प्राची

पैरोकार – हे0का0 अमन